रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 13 जून, 2003/23 ज्येष्ठ, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 मई, 2003

संख्या यू0डी0-इ(3)35/97.— कण्डाघाट क्षेत्र, जो ग्राम पंचायत श्रीनगर, जिला सोलन का भाग है, को समसंख्यांक अधिसूचना संख्या तारीख 11-11-1998 द्वारा हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खण्ड (ट) के अधीन, हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1987 के प्रयोजनों के लिए नगरीय क्षेत्र घोषित किया गया था;

और कण्डाघाट क्षेत्र के निवासियों ने उक्त अधिसूचना को वापिस लेने के लिये सरकार को अभ्यावेदन किया है;

और सरकार ने कण्डाघाट क्षेत्र के निवासियों की मांग पर विचार और परीक्षण किया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1968 की धारा 20 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना को तुरन्त प्रभाव से विखण्डित करते हैं, परन्तु हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1987 के अधीन, उक्त क्षेत्र में अधिकारिता रखने

वाले विभिन्न न्यायालयों और अन्य प्राधिकरण में संस्थित मामले, यदि कोई हो, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निपटाए जाएंगे ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव (शहरी विकास) ।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. UD-E*(3)-35/97, *dated* 30*th May*, 2003 *as required under Article* 348(3) *of the Constitution of India*].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 30*th May*, 2003

No. UD-E-(3)-35/97.—Whereas the area of Kandaghat, a part of Gram Panchayat, Sirinagar, District Solan was declared as urban area for the purpose of Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1987 under clause (*k*) of section 2 of the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1987 *vide* notification of even number dated 11-11-1998;

And whereas residents of the Kandaghat area have represented to the Government for withdrawal of the said notification;

And whereas, the Government considered and examined the demand of the residents of the Kandaghat area.

Now, in exercise of the powers conferred by clause (*k*) of section 2 of the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1987 readwith section 20 of the Himachal Pradesh General Clauses Act, 1968 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to rescind the said notification with immediate effect, provided that the cases, if any, instituted under the Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1987 in various courts and other authority, having jurisdiction over said area, shall be disposed off in accordance with the provisions of the said Act.

By order,

Sd/-
Principal Secretary (*UD*).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित